न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहनलाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार – अपीलार्थी

बनाम

श्री दीनदयाल पुत्र नारायण लाल जाति जागडा ब्राह्मण निवासी करौली – प्रत्यर्थी

अपील आर्म्स एक्ट

निर्णय

दिनांक–23.10.2019

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्री दीनदयाल पुत्र नारायण लाल जाति जागडा ब्राह्मण, निवासी करौली जिला करौली ने जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली के आदेश दिनांक 28.11.2008 जिसके द्वारा श्री ब्राह्मण का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है, के विरूद्ध अपील संख्या 54/09 माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर में आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा उक्त अपील में दिनांक 30.11.2010 को निर्णय पारित करते हुये श्री ब्राह्मण की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि श्री ब्राह्मण को पुनः साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः निर्णय पारित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर श्री ब्राह्मण को व्यक्तिगत तलब किया जाकर वकालतन/असालतन सुनवाई हेतु अवसर दिया गया। पुलिस अधीक्षक करौली से रिपोर्ट तलब कर शामिल पत्रावली की गई।

श्री ब्राह्मण का पूर्ण पता पत्रावली में उपलब्ध नहीं होने के कारण श्री ब्राह्मण को जारी किये गये नोटिसों की तामील नहीं हो सकी। इसलिए श्री ब्राह्मण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

पैरोकार सरकार ने पक्ष प्रस्तुत करते हुये बताया कि तत्समय गुर्जर आरक्षण आंदोलन के मध्येनजर जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाकर दिनांक 08.06.2008 तक संबंधित थानों में जमा करवाने के निर्देश दिये। तत्समय व्यक्तिगत तामील करवाया जाना संभव नहीं हो पाने के कारण पब्लिक नोटिस समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाया गया। इसके उपरांत 11.06.2008, 13.11.2008 को पुनः क्रमशः पब्लिक नोटिस एवं प्रेस नोट जारी कर दिनांक 17.11.2008 तक शस्त्र जमा करवाने बाबत समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाया गया। इसके उपरांत शस्त्र जमा नहीं करवाने की पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 27.11.2008 के आधार पर दिनांक 28.11.2008 को शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया जो विधिसम्मत कार्यवाही कर निरस्त किया गया है। अंत में श्री ब्राह्मण को जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त ही फरमाये जाने का कथन किया है।

पुलिस अधीक्षक, करौली ने क्रमांक ल–1/( )श.अ. बहाली/डीएसबी/2019/8380 दिनांक 19.08.2019 से अवगत करवाया है कि श्री ब्राह्मण का स्थाई पता अंकित नहीं होने के कारण उसके विषय में जांच किया जाना संभव नहीं है।

प्रकरण में बहस पैरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के मध्येनजर दिनांक 08.06.2008 को जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किये जाकर दिनांक 08.06.2008 तक संबंधित थानों में जमा करवाने के निर्देश दिये। तत्समय व्यक्तिगत तामील करवाया जाना संभव नहीं हो पाने के कारण पब्लिक नोटिस समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाया गया। इसके

23/10/19
जिला कलक्टर
करौली

उपरांत 11.06.2008, 13.11.2008 को पुनः क्रमशः पब्लिक नोटिस एवं प्रेस नोट जारी कर दिनांक 17.11.2008 तक शस्त्र जमा करवाने बाबत समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाया गया। इसके बावजूद श्री ब्राह्मण द्वारा शस्त्र संबंधित थाने में जमा नहीं करवाया गया जिसकी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक करौली द्वारा किये जाने पर दिनांक 28.11.2008 को शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया। श्री ब्राह्मण का स्थायी पता अंकित नहीं होने के कारण उसकी व्यक्तिगत सुनवाई किया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में हम श्री ब्राह्मण का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया जाना उचित समझते हैं।

अतः श्री ब्राह्मण को जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त किया जाता है। निर्णय सहित मूल पत्रावली न्याय अनुभाग, कलक्ट्रेट, करौली में भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

23/10/19

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
करौली